

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -494/2023

अनवान : -

1. मांगेराम पुत्र सुणाराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. सुणाराम पुत्र हरचन्द जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. रोशनी देवी पुत्री सुणाराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री सुणाराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री सुणाराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. धापा पुत्री सुणाराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री हंसराज अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 16.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 97/101 की कुल 5.4630 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 65/67 की कुल 4.6660 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। उपरोक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो की वादी की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई व पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 97/101 की कुल 5.4630 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 65/67 की कुल 4.6660 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी के पैतृक भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 97/101 की कुल 5.4630 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 65/67 की कुल 4.6660 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को कोई एतराज नहीं है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 97/101 की कुल 5.4630 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 65/67 की कुल 4.6660 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के

नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...16/6/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-भोगराना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -494 /2023

अनवान : -

1. मांगेराम पुत्र सुणाराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. सुणाराम पुत्र हरचन्द जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. रोशनी देवी पुत्री सुणाराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री सुणाराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री सुणाराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. धापा पुत्री सुणाराम जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 494 सन 2023 निर्णय दिनांक 16.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 97/101 की कुल 5.4630 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 65/67 की कुल 4.6660 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-भोगराना